

"To Spread The Knowledge Is Our Religion"



R.A.S. DEGREE COLLEGE

ASSOCIATED TO LUCKNOW UNIVERSITY, LUCKNOW

(Run By Ram Ashrey Singh Shikshan Sansthan Foundation Trust)

Ali Nagar, Sunhera Road, Krishna Nagar, Lucknow - 226008



Ref. No. : 397 (Q) / RASDC / 2025-26

Date : 29 AUG 2025

To,

The Registrar
Lucknow University
Lucknow.

1775
29/08/25

Re :- Uploading vacancies B.C.A. & B.Sc Asst. Professores on Lucknow University Website.

Dear Sir/ Madam,

This is to bring to your kind notice that we have advertised the post of Ass. Professor in Daily Newspaper- Hindustan & Hindustan Times on Dated. 29-06-2025, 30-06-2025 and 01-07-2025 Hindi & English. (Copy enclosed)

Kindly Upload the vacancy of our College on Lucknow University Website.

Enclosed :- As Above

Your Faithfully

श्रीमान (विकास)
BM

29/8/25

(Bhanu Pratap Singh)
आर. एस. एस. डिग्री कॉलेज
अधीनस्थ शिक्षण संस्थान
लखनऊ-226008



कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007

(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : १११७ / सम्ब.अनु. / 2025

दिनांक :

10/5/2025

रजिस्टर्ड / स्पीडपोस्ट / व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,

आर ए एस महाविद्यालय,

अलीनगर, सुनेहरा मार्ग, लखनऊ।

महोदय,

कृपया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०सी०ए० एवं बी०एस-सी०(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान व गणित) पाठ्यक्रम की अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनोंक 29.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी०सी०ए० एवं बी०एस-सी०(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान व गणित) पाठ्यक्रम की अस्थायी सहयुक्तता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुति एवं महाविद्यालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 08.05.2025 के मद संख्या : 2025/02/01 (53) द्वारा बी०सी०ए० एवं बी०एस-सी०(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान व गणित) पाठ्यक्रम में सत्र 2025-26 से तीन वर्षों हेतु अस्थायी सहयुक्तता अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सहयुक्तता शुल्क(पाठ्यक्रम हेतु रु० एक लाख एवं अतिरिक्त विषय हेतु रु० पचास हजार + 18 प्रतिशत जी०एस०टी० की धनराशि सहित) विश्वविद्यालय के खाते में ऑनलाइन जमा कर उसकी रसीद की प्रति प्रवेश की अनुमति से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी अन्यथा की स्थिति में प्रदान की गयी सहयुक्तता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
2. मानकानुसार प्राचार्य एवं शिक्षक तथा प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। प्रवेश की अनुमति के बिना यदि प्रवेश लिया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी परीक्षाएँ नहीं करायी जायेगी जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।
3. समय-समय पर उ०प्र० शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
5. महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू०डी०आर०सी० पोर्टल पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में अपलोड किया जायेगा।
6. महाविद्यालय द्वारा छात्र/शिक्षकों का अनुपात बनाये रखा जायेगा।
7. संस्थान द्वारा प्रवेश व परीक्षा आदि के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

10.5.2025

(विद्या नन्द त्रिपाठी)

कुलसचिव

संख्या :

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर-एम, आशियाना, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

प्रबन्धक
आर० ए० एस० डिग्री कॉलेज
अलीनगर सुनेहरा मार्ग
लखनऊ-226008

समस्त पत्र-व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

संदर्भ संख्या : AF-15086/एन.ओ.सी./सम्बद्धता/2018

दिनांक : 01/3/18

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007

सेवा में,

प्रबन्धक,
आर०ए०एस० गर्ल्स डिग्री कालेज,
अलीनगर, सुनहरा, कृष्णा नगर, लखनऊ।

विषय : नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002, दिनांक 09.08.2012 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आर०ए०एस० गर्ल्स डिग्री कालेज, अलीनगर, सुनहरा, कृष्णा नगर, लखनऊ में बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, इतिहास एवं गृह विज्ञान), बी०एस-सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित), बी०कॉम०, बी०कॉम० आनर्स, बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रमों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है जिनकी पूर्ति सहयुक्तता से पूर्व अपेक्षित होगी :-

1. संदर्भित पाठ्यक्रम का संचालन तत्पश्चात विश्वविद्यालय से सहयुक्तता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सहयुक्तता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। यदि कोई महाविद्यालय सहयुक्तता प्राप्त किये बगैर प्रवेश की कोई कार्यवाही करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
2. उपर्युक्त पाठ्यक्रम की सहयुक्तता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान शासनादेश संख्या- 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या-3411/सत्तर- 2-2002-2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या-193/सत्तर-2-2003-2 (166)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या-585मुम./सत्तर-2-2005-2 (166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 तथा शासनादेश संख्या-743मुम./सत्तर-2-2006-2(166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएँ एवं औपचारिकताएँ पूर्ण कर लेगी।
3. संदर्भित संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगा और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी।
4. संस्थान के किसी दायित्व से राज्य सरकार का कोई संयोजन नहीं होगा।
5. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थान सुविधाओं की उपलब्धता, सहयुक्तता से पूर्व संस्थान द्वारा की जायेगी।
6. संदर्भित पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान से उठाना होगा एवं सहयुक्तता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रबन्धक,
आर०ए०एस० गर्ल्स डिग्री कालेज,
अलीनगर, सुनहरा, कृष्णा नगर,
लखनऊ-226008

7. मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की मूल प्रति सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) से प्रमाणित कराकर अधवा भूमि किसी प्राधिकरण से कय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सहयुक्तता के साथ उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें स0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 4070/सत्तर-2-2011-16 (686)/2011, दिनांक 20 अप्रैल, 2012 के प्राविधानानुसार (शहरी क्षेत्र में 15 फिट व ग्रामीण क्षेत्र में 20 फिट चौड़ाई) सम्पर्क मार्ग होने का स्पष्ट उल्लेख होगा।
8. संदर्भित पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम-अलीनगर सुनहरा (बिजनौर), तहसील सरोजनी नगर व जनपद लखनऊ स्थित भूमि खसरा संख्या 856 रकबा 0.1837 हे0, खसरा संख्या : 870 रकबा 0.0547 हे0 व खसरा संख्या 852स रकबा 0.0157हे0 कुल रकबा 02541 हे0 अर्थात् 2541 वर्गमीटर भूमि में मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सहयुक्तता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।
9. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधितः अन्तर्गत कर दी जायेगी।
10. सहयुक्तता के समय महाविद्यालय में मानकानुसार विश्वविद्यालय से प्राचार्य व शिक्षक अनुमोदित होना आवश्यक है।
कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रो0 आर0के0 सिंह)
कुलसचिव

संख्या : /सम्बद्धता/2018, दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. गार्ड फाईल।

कुलसचिव


प्रबन्धक
आर0 ए0 एस0 डिग्री कालेज
अलीनगर सुनहरा मार्ग
लखनऊ-226008


प्रबन्धक
आर0 ए0 एस0 डिग्री कालेज
अलीनगर सुनहरा मार्ग
लखनऊ-226008

HC seeks govt reply on bids to curb exploitation of girls in orchestras

626
com

आर० ए० एस० डिग्री कालेज
अलीनगर सुनहरा मार्ग
लखनऊ-226008